अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०– 182/2016-17

वाद का प्रकार:– **बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।**

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9·11·2022	**Covid-19** के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तानान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि संबंधित को नोटिस निर्गत कर पुनः अभिलेख का संधारण करे। अभिलेख दिनांक 8·12·2022 को उपस्थापित करें। 09/11/22 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8·12·2022	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सह–पठित –श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं0–3 खा0म0निति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0– 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा0. दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म ——) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अचंल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमिः– मौजा चतिर चट्टी थाना नं0 224 खाता सं0 07 प्लॉट सं0 78/17 रकबा 0.80 एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म ——, अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द सं0 III के पृष्ट सं0 17 पर जमाबंदी रैयत कुलदीप पासवान पत्नी अनिता देवी पिता प्रमोद पासवान के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुननामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।	

Scanned with CamScanner

अतएव, संबंधित जमाबदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत बन्दोबस्ती वाद सं०-19/1990-91, लगान रसीद वर्ष-2002-03 तक समर्पित किया गया है। इस संबध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.01.2023 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.23 अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा छाबरधरी मौजा नं० 224 खाता सं०- 07 प्लॉट सं०- 75/17, रकबा 0.8000 किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि सक्षम प्राधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी, ~~छत्तरपुर~~/ सदर हजारीबाग से बन्दोबस्त वाद स० 19/1990-91 से प्राप्त है। अंचल में संधारित बन्दोबस्त पंजी से मिलान करने पर उक्त वाद सही पाया गया। बन्दोबस्तधारी /बन्दोबस्तधारी के वंशजों का उक्त भूमि पर दखल कब्जा है। लगान रसीद वर्ष 2010-11 तक निर्गत है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षके के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) की कार्रवाई करना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

Scanned with CamScanner

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक–लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम – पलामू छतरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एंव भूमि का विवरण :–

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकवा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
कुलदीप पासवान पत्नी अनिता देवी पिता– राजदेव पासवान	चातरचट्टी	224	7	75/17	0.80 एकड़	गैरमजरूआ मालिक	Online [illegible] में [illegible] नहीं है

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :– Online [illegible] में [illegible] नहीं है।

4. अवैध जमाबंदी पंजी–II में कब से संधारित है? :– पंजी-II के [illegible] के प्रारंभ [illegible] में [illegible] केस नं० 19/90-91 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी छतरपुर के आदेशानुसार खोला गया दर्ज है

5. उक्त जामबंदी पंजी–II मे दर्ज करने वाले कर्मचारी / पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी / कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पत्ता कर उल्लेखित करें) :– अनुमंडल पदा० छतरपुर

6. नामान्तरण / दाखिल – खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :– NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार :–
   (क) अनिबंधित ,सादा हुकुमनामा
   (ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष :–
   (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार)
   N.A.

   (ग) अवैध भू–बंदोवस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :–

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा–कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/–रूपये से कम या इससे अधिक) :– ——

Scanned with CamScanner

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :–

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :–

(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :– NA

(ग) दाखिल–खारिज / भू–हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :–

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व से कायम है :– नहीं

(ख) क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत है? :– नहीं

11. क्या दिनांक–01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :– नहीं

12. वर्ष 1964–65 में हुए फिल्ड –बुझारत पंजी में दखल–कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :– नहीं

13. राजस्व उप–निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :–

प्रतिवेदित भूमि का मौजा चतरपुर के खाता सं० 7 प्लाट सं० 75/7, रकबा 0.80 एकड़ पेज सं० 17/III पर रैयत [illegible] पासवान पिता [illegible] पासवान के नाम पर दर्ज है। परिमार्जन का प्राधिकार [illegible] में बंदोबस्ती केस नं० 19/1990-91 दर्ज है। उक्त खाता [illegible] खाते से संबंधित है। संबंधित जाँच का online/offline अभिलेख में दर्ज नहीं है जिससे [illegible] का किस्म पता नहीं चल पा रहा है। स्थल में संधारित बंदोबस्त पंजी से [illegible] उक्त वाद नहीं पाया गया। बंदोबस्तधारी के वंशजों का ~~[illegible]~~ कब्जा है। ऐसे में उक्त भूमि पर BLR act के तहत 4(h) की कार्रवाई [illegible] उचित प्रतीत नहीं होता है। अत: इस वाद को समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :–

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, सही पाया। अत: उपरोक्त जमाबंदी पर BLR Act 1950 के तहत धारा 4(h) की कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	भूमि–सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर।	अनुमण्डल पदा०, छत्तरपुर।	अपर समाहर्त्ता, पलामू।

Scanned with CamScanner

सदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. सदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– कुलदीप पासवान, पत्नी अनिता देवी
पिता – [illegible] पासवान
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या ...II... पृष्ठ सं. ...17... पर कायम

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा
पातेपुरी	244	7	75/17	0.80 एक.

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :– मांग पंजी II में परवाना के प्राधिकार में बंदोबस्त केस नं 19/90-91 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– डालटेनगंज के आदेशानुसार
गैरमजरुआ मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :–
अनुमंडल पदाधिकारी, सदर डालटेनगंज
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– N.A

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू–बंदाबस्ती) :–
बंदोबस्त केस सं० 19/90-91
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)
:–
मांग पंजी-II व कार्यालय में बंदोबस्ती पंजी द्वारा

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :–

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	4790907	08.03.10	2010-11

Scanned with CamScanner

कार्यालय, अंचल अधिकारी,छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं0 182 **/ 20** 16-17 **(अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950**

सूचना

बनाम कुलदीप पासवान

पत्नि अनिता देवी

पिता सजादेव पासवान

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा [illegible] थाना नं0 225 खाता सं0 7 खेसरा नं0 75/17 रकबा 80 से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0 II के पंजी–II भाग III के पृष्ठ 17 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न–1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दरतावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

अनीता देवी

24, 12, 022

Digitally signed by MODASAR NAZAR MANSURI
Date: 2023.01.08 21:13:33 +05:30
Location: 192.168.143.5

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

Scanned with CamScanner